उन्हं शीप्रत्रता से पासपोटं जारी किया जा सकं। वास्तव में अधिकांश मामलों में पासपोर्ट कार्यालय भोपाल 35 दिन की अव्वधि के अन्दर आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करके पासपोर्ट जारी कर देता है।

पासपोर्ट आवेदकों को पेश आने वाली समस्याओं को दूर करने के उद्द्देश्य से सामान्य उपाय भी किए जा रहे हैं और इन उपायों का उद्देश्य पासपोर्ट सुविधाओं को उदार त्नथा बेक्सर बनाना हैं। इसममें भारतीतय पासपोर्ट की वैधता अवरी तथा उसके आकार को बढ़ाना भी शामिल है ताकि चवीकरण के मापलों में पर्याप्त कमी की जा सके। साष्ब्यक्न प्रमाण-पत्र जारी करने वाले ब्यक्तियों की सूची में भी पर्याष्त वृद्धि की गई है।

देग में चदियों को षसस्यर मिसाया जाना
3135. 䧆 राम बेठमसानी: क्या खस संसाषन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि सरका ने देश में नदियों को परस्यर मिलाने का निर्णय लिया हैं;
(ख) यदि हों, तो क्या यह भी सच हैं कि इस निर्पय को कार्यरत देने के लिए सरकाए एक समिति गुकित करने पर विषार कर रही हैं;
(ग) यदि हां, तो इस समिति का गठन कब तक किए जाने की संभाषना है;
(घ) क्या यह भी सच हैं कि नदियों को परस्पर मिलाने के ऐसे ली प्रस्ताव पिछ्ले कुछ दशकों के दौरान विशेष्च समितियो द्वारा भी प्रस्तुत किए गए थे; और
(ङ) यदि हां, तो उन प्रस्ताबं का व्यौरा क्या है और उन्न कायfि्वित करने हेतु सरकार द्वरा प्राथमिकता न दिए जाने के क्या कारण है?

बल स्ससाषन मंग्री ( डी जनेखर सिश्न) : (क) जल संसाधनों के विकास के लिए सरकार द्वारा रार्म्यैय परिग्रेष्य बनाया गया है जिसमें जल संस्सधनों के इृ्टतम उपयोग के लिए जल अधिशेष बोसिनों से जल की कमी वाले बोंसनों को जल का अंतरण करने के लिए विभिन प्रायद्वीपीय नद्वियों को आपस में जोड़ने और हिमालयी नदियों को अलग से सेड़ने की परिकल्पना की गई है।
(ख) और (ग) जी हां। केन्द्र सरकार एकीकृत्ता जल संसाधन विकास योजना के लिए उच्च अधिकार प्राप्त अयोग गकित करने पर विच्चार कर रही है। देश में नदियों को अपस में ओड़कर जल अधिशेष केसिनों से जल कमी

वाले बोसिनों को अंतरण के लिए स्यात्मकताओं की सलाए देना आयोग की संद्भ की शतान में से एक है।
(घ) और (उ) एक प्रस्ताब उा. के. एल. राव द्वारा और दूसरा कैपन दस्तूर द्वारा बनाए हुए विभिन नदियों को आपस में जोड़न संबर्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। ड. के. एल. राव के प्रस्ताव की एक विशेष्त्र सीितित और केन्द्रीप जल आयोग ने आांच की थी और प्रतियंधित्त लागत, विद्युत के वृष्द ब्लाकों की आकसयकता और साथ ही बाढ़ नियंत्रण के कोई लाभ होने के कारण इसे ख्यक्हार्य नही पाया गया। कैप्न दस्तूर की योजना की केन्द्रीय जल आयोग, राल्म सरकारों के विशेष्ज़ों एवं प्रोफेसॉों की दो विशेष्ड समितियों ने जांच की जिनकी राय थी कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से प्रतिबंधात्मक था।

फ्रायीण फिंत्रों में खराये पड़े टेलीफोन
3136. ड्री नागम्शण:

ब्या संचार मंत्री यह बताने की क्पा करंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि ग्रार्मीण क्षेत्रों/गावी में लगाए गए अधिकांश एवसचेंज और टेलीफोन पिछझे छ: पहीने से बराद पड़े दुए हैं
(ख) यदि हां, तो ऐसे गांनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या青;
(ग) क्या यह सच्व है कि इसके पर्परणामस्वरूप करोड़ो रूपयों की तानि हों रही है;
(घ) इन क्षेत्रों मैं टेलीफोन लगाने से पहले इन्हें ठीक कराने के लिए बनाई गई योजनाओं के साथ-साथ इन योजनाओं को अब तक कार्यान्बित न किए जाने के कारमें का ब्ौरा क्या है; और
(ङ) क्या इस संबंध में अनेक अधिकारी दोषी पाए गए है; यदि हा, तो उनका राग्य--वार ब्यौरा क्या है?

(ख) प्रश्न नही उहता।
(ग) जी नी़ी।
(घ) नए एक्सज़ेंों की संस्थापना से पहले उनका गुणबस्ता की दृषिट से परीक्षा़ किया जाता है तथा समुचित संस्यापन के लिये ज्सका स्वीकृति परीक्षण किया जाता t1
( () जी नहीं।

